12-8-11

कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 06.08.2011 को किए गए जिला जन शिकायत कोषांग का निरीक्षण टिप्पणी :-

▶ परिचय :-

जिला जन शिकायत कोषांग, मुंगेर की स्थापना वर्ष 2007 में हुई है। वर्तमान में यह कार्यालय आपदा प्रबंधन संचालन केन्द्र, मुंगेर के एक छोटे-से भवन में चल रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपदा प्रबंधन संचालन केन्द्र का उद्घाटन तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री राधे श्याम बिहारी सिंह (भा0प्र0से0) के कर-कमलों द्वारा दिसम्बर, 2005 में किया गया है।

उक्त भवन के दोनों प्रवेश द्वार के उपर छज्जा नहीं होने के कारण बारिश के पानी से दोनों दरवाजे सड़ चुके है एवं बारिश का पानी कार्यालय में प्रवेश करता है जिसके कारण संचिकाओं के रख-रखाव में काफी परेशानी हो रही है। उक्त कार्यालयी भवन में एक बड़े कमरे में आपदा प्रबंधन शाखा एवं जिला जन शिकायत कोषांग के सभी कर्मी बैठते हैं। साथ ही दोनो शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी एवं जन शिकायत पदाधिकारी भी बैठते हैं। उक्त दोनों शाखाओं के लिए यह जगह अत्यन्त ही कम है एवं इस भवन में जगह की कमी के कारण आपातकालीन संचालन केन्द्र की भी स्थापना नहीं हुई है। आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी थी जो संभवतः इस जिले में निकासी होकर शेष पड़ा होगा। इस निमित्त नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर इस आशय का सुस्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि क्या वर्ष 2009 में उक्त कार्य हेतु राशि प्राप्त हुई है एवं उस राशि का अबतक क्या उपयोग किया गया है।

चूँकि जिला जन शिकायत कोषांग का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है इस हेतु उक्त कार्यालय को जल्द ही किसी अन्य भवन अथवा किसी बड़े जगह पर स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

वर्तमान में जिला जन शिकायत कोषांग, मुंगेर के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में डॉ0 मो0 आजाद शहाबुद्दीन, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर फरवरी 2011 से कार्यरत् हैं। इसके अतिरिक्त कोषांग हेतु स्वीकृत दो जन शिकायत पदाधिकारी के विरूद्ध एक जन शिकायत पदाधिकारी, तीन कार्यपालक सहायक के विरूद्ध दो कार्यपालक सहायक एवं एक डाटा इन्ट्री

ऑपरेटर मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा बताया गया कि संविदा के एक वर्ष पूरी होने के पश्चात् विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में विगत पॉच महीने से अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया गया है जिसके कारण मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि स्थापना उप समाहर्त्ता यथाशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्यमंत्री विश्वास यात्रा एवं मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश श्री शहाबुद्दीन को दिये गये :-

► **मुख्यमंत्री सचिवालय :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से अबतक प्राप्त 1475 आवेदनों में से 171 आवेदन पत्र लंबित है अर्थात् निष्पादन का प्रतिशत लगभग 87 प्रतिशत है। साथ ही लंबित आवेदन पत्रों में सर्वाधिक आवेदन पुलिस अधीक्षक, मुंगेर-17, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-16, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर-16, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर-13, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-16, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मुंगेर-09, उप विकास आयुक्त, मुंगेर-08, जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर-07 के पास आवेदन पत्र निष्पादन हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि इन लंबित आवेदन पत्रों को अगले 15 दिनों में जांच कर प्रतिवेदन भेजने के लिए शीघ्र स्मारित किया जाय एवं उक्त पदाधिकारियों की बैठक अगस्त माह में बुलायी जाय।

► **मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग:-**

मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग के कुल 11 लंबित पत्रो, यथा- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर-2, उप विकास आयुक्त, मुंगेर-3, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर-1, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर-1, अंचल अधिकारी, टेटियाबंबर-1, जिला स्थापना शाखा-1, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर-1, कार्यपालक अभियंता, पी0डब्लू0डी0, मुंगेर-1 के संबंध में निदेश दिया गया कि शीघ्र संबंधित पदाधिकारियों से कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अगले 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

► **विश्वास यात्रा :-**

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विश्वास यात्रा संबंधी भेजे गये 225 आवेदन पत्रों के विरूद्ध अबतक 04 आवेदन पत्र, यथा- अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर-1, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा-1, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर-1 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर-1 के पास लंबित है। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों से कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अगले 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

► **जिला जनता दरबार :-**

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रत्येक गुरूवार को आयोजित जिला जनता दरबार के काफी आवेदन पत्र लंबित है। इस निमित्त मो0 आजाद शहाबुद्दीन, वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला जन शिकायत कोषांग, समाहरणालय, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों की एक बैठक अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में बुलायी जाय जिसमें सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय/शाखा के प्रधान लिपिक एवं संबंधित लिपिक के साथ बैठक में भाग लें।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग द्वारा बताया गया कि जिला जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी स्कैन कराने हेतु एक अतिरिक्त स्कैनर की आवश्यकता होगी ताकि कार्य यथाशीघ्र पूरी की जा सके। इस हेतु निदेश दिया गया कि नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर को इस आशय का पत्र निर्गत किया जाय कि पूर्व से इस कोषांग में एक स्कैनर उपलब्ध है एवं जिला जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कैन करने हेतु एक अतिरिक्त स्कैनर की आवश्यकता है। अतः पूर्व से इस्तेमाल में लायी जा रही स्कैनर मॉडल Hp Scanjet 3110 का क्रय किया जाय।

निरीक्षण के क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिला जनता दरबार में प्राप्त कितने आवेदन पत्र Highly complicated है एवं उन पर अबतक क्या कार्रवाई की गयी है। इस अस्पष्टता के निराकरण हेतु निदेश दिया गया कि प्रत्येक गुरूवार को आयोजित जिला जनता दरबार के दिन ही Highly complicated subject वाले आवेदन पत्रों में एक नंबर अंकित किया जाय तथा

उनके पावती रसीद में भी उक्त नंबर का अंकन किया जाय ताकि उक्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही उक्त आवेदन पत्रों की विभागवार सूची तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों को यथशीघ्र निष्पादित करने हेतु उपलब्ध करायी जाय।

चूँकि जिला जन शिकायत कोषांग समाहरणालय भवन से अलग आपदा प्रबंधन संचालन केन्द्र भवन में चल रहा है जहाॅ पूर्व में NIC से Internet Connection लिया गया था जो बार–बार Disconneect हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि एक Unlimited Broadband Connection (Maximunm rental 800 Rs. per month) क्रय किया जाय।

20/08/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2129 /गो0, दिनांक 20/08/2011

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता, जिला जन शिकायत कोषांग, मुंगेर/नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर/स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2129 /गो0, दिनांक 20/08/2011

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/08/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।